

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 146/15

संस्थित दिनांक-30.03.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

ब्रजमोहन उर्फ भर्मा पुत्र आदिराम यादव

उम्र 26 साल, निवासी लोहारपुरा

थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 30.01.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.02.14 को प्रातः 11 बजे दंदरौआ मंदिर हनुमान मंदिर परिसर थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी सी०पी० शर्मा के आधिपत्य के एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वालट्रो मोबाईल आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 की चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 18.02.2014 को थाना मौ में लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त दिनांक को वह दंदरौआ हनुमान मंदिर में गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वाट्रो मोबाईल मॉडल नंबर 8552 जिसमें वोडाफोन कंपनी की सिम लगी थी जिसके आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 एवं 357092/05/533602/4 थे, को चोरी कर लिया। उक्त आशय की रिपोर्ट से उसी दिनांक को अप०क्र० 69/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त से दिनांक 23.12.14 को उक्त मोबाईल एवं एक देशी 315 बोर का कट्टा व राउण्ड जब्त किए गए। अभियुक्त से पूछताछ कर ज्ञापन लिया गया, प्रकरण में फार्मल गिरफ्तारी की गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 18.02.14 को प्रातः 11 बजे दंदरौआ मंदिर हनुमान मंदिर परिसर थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी सी०पी० शर्मा के आधिपत्य का एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वालट्रो मोबाईल आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 की चोरी हुआ ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोबाईल चोरी किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में चन्द्रप्रकाश शर्मा अ०सा० 1, गोटीराम उर्फ गोटे अ०सा० 2, संतोष अ०सा० 3, प्रमोदसिंह भदौरिया अ०सा० 4, शेषदेव भगत अ०सा० 5, राजेश गुप्ता अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

--:: विचारणीय प्रश्न क० 1 का निष्कर्ष ::--

6. फरियादी चन्द्रप्रकाश शर्मा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 18.02.14 को सुबह 11 बजे वे दंदरौआ मंदिर मौ पर दर्शन करने गए थे। मंगलवार होने से बहुत भीड़ थी। लौटकर आने पर देखा तो उनकी जेब से मोबाईल चोरी हो गया था। साक्षी यह कथन करते हैं कि मोबाईल का नंबर वही है जो उन्होंने पुलिस को दिया था। साक्षी चोरी की रिपोर्ट का आवेदन प्र०पी० 1 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 बताकर उस पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 3 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। चोरी गए मोबाईल का बिल प्र०पी० 5 बताते हैं और उसकी छायाप्रति प्र०पी० 5 सी के रूप में प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में फरियादी के घटना दिनांक 18.02.14 के सुसंगत समय लगभग 11 बजे घटना स्थल दंदरौआ मंदिर मौ से उसका मोबाईल चोरी होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई भी खण्डन नहीं किया गया है, न हीं उक्त तथ्य को कोई चुनौती दी गयी है। खण्डन के अभाव में फरियादी चन्द्रप्रकाश अ०सा० 1 का उसके मोबाईल चोरी के संबंध में कथन प्रमाणित होता है।

7. फरियादी चन्द्रप्रकाश शर्मा अ०सा० 1 के कथनों की संपुष्टि प्राथमिकी लेखक शेषदेव भगत अ०सा० 5 करते हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 18.02.14 को फरियादी सी०पी० शर्मा द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दंदरौआ मंदिर से उनका सैमसंग गैलेक्सी मोबाईल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए जाने के संबंध में पेश किया था जिसके आधार पर उन्होंने प्र०पी० 2 की प्राथमिकी लेख की थी। उक्त प्र०पी० 2 पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए अनुसंधान हेतु केस डायरी पी०एस० भदौरिया को सौंपे जाने का कथन करते हैं। अभियुक्त की ओर से इस साक्षी के अभिसाक्ष्य को भी कोई चुनौती नहीं दी गयी कि उसके द्वारा फरियादी की कोई

रिपोर्ट न लेख की हो। कथित घटना दिनांक 18.02.14 को फरियादी के द्वारा घटना के शीघ्र पश्चात् आरक्षी केन्द्र के समक्ष आवेदन किया गया है, जिसकी पुष्टि प्राथमिकी लेखक शेषदेव भगत अ०सा० 5 द्वारा की गयी है। प्रकरण में दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य को घटना दिनांक को चोरी के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। प्र०पी० 5 की रसीद जिसकी छायाप्रति प्र०पी० 5 सी है, उसके संबंध में भी कोई चुनौती नहीं दी गयी है। उक्त रसीद में मोबाईल के आई.एम.ई.आई. नंबर वे ही हैं जो कि प्र०पी० 1 के लिखित आवेदन में घटना के शीघ्र पश्चात् प्रस्तुत किए गए। इस कारण से प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 18.02.14 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी चन्द्रप्रकाश शर्मा सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वालट्रो मोबाईल आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 की चोरी हुई थी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष //

8. फरियादी चन्द्रप्रकाश अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई थी और अभियुक्त को नहीं देखा। शेषदेव भगत अ०सा० 5 अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि फरियादी ने किसी व्यक्ति पर शक होने की बात भी नहीं बताई थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि अभियुक्त को उक्त मोबाईल को फरियादी से चुराते हुए या ले जाते हुए या छिपाते हुए देखने के संबंध में कथन करता हो। इस कारण से अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है।

9. राजेश गुप्ता अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि दिनांक 23.12.14 को वे थाना मौ में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके द्वारा अभियुक्त भर्मा उर्फ ब्रजमोहन यादव को धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में अवैध 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड अपने कब्जे में रखे होने के कारण गिरफ्तार किया था। यह भी कथन करते हैं कि उक्त अपराध के संबंध में उन्होंने अप०क्र० 415/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र०पी० 9 सी है जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी कथन करते हैं कि अभियुक्त की तलाशी के दौरान उक्त आग्नेय आयुध के अतिरिक्त एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वाट्रो ग्रांड 8552 मोबाईल जिसकी बॉडी सफेद रंग की थी और काले रंग का था, जब्त कर जब्ती पत्रक प्र०पी० 8 सी बनाया था जिस पर उनके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रमोदसिंह भदौरिया अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि दिनांक 23.12.14 को उन्होंने अभियुक्त को फार्मल गिर० कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 6 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त अभियुक्त का उन्होंने धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन लिया था जो प्र०पी० 7 है और उस पर भी उनके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त का तलाशी पंचनामा प्र०पी० 8 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

10. प्रमोदसिंह भदौरिया अ०सा० 4 के द्वारा प्रकरण में अभियुक्त की फार्मल गिरफ्तारी थाने के अप०क्र० 415/14 पंजीबद्ध हो जाने के उपरांत थाना मौ पर 15:50 बजे दर्शाई है, तत्पश्चात् दिनांक 23.12.14 को 16 बजे अर्थात् शाम 4 बजे धारा 27 का मेमोरेण्डम प्र०पी० 7 के अनुसार लेख किया जाना दर्शाया गया है। उक्त प्र०पी० 7 के अनुसार अभियुक्त के आधिपत्य से कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई, न ही किसी तथ्य का पता चला जो कि अपराध में उसकी संबद्धता की श्रृंखला को पूर्ण करता हो। ऐसे में प्रमोदसिंह भदौरिया अ०सा० 4 के द्वारा की गयी कार्यवाही सारवान नहीं हैं। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी राजेश गुप्ता अ०सा० 6 है जो कि प्रकरण में अभियुक्त से दिनांक 23.12.14 को प्र०पी० 8 सी के जब्ती पत्रक के अनुसार चोरी हुआ मोबाईल एवं एक कट्टा व कारतूस जब्त होने का कथन करते हैं। प्रकरण में प्र०पी० 8 सी के जब्ती साक्षियों के संबंध में साक्षी गोटीराम अ०सा० 2 संतोष खटीक अ०सा० 3 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

11. गोटीराम उर्फ गोटे अ०सा० 2 एवं संतोष अ०सा० 3 दोनों ही अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त से अभिकथित जब्ती पत्रक के संबंध में कार्यवाही किए जाने से इंकार करते हैं। उक्त साक्षीगण अभियुक्त को नहीं पहचानते और उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने एवं जब्ती किए जाने के संबंध में समर्थन नहीं करते हैं। साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर दिया गया। उक्त साक्षीगण सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने मामले का समर्थन नहीं किया है इस कारण अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। दण्डिक विधि में कोई भी पुलिस साक्ष्य इस कारण से ही अविश्वसनीय नहीं हो जाता है कि वह पुलिस साक्षी है, जब तक कि उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार न हो, मात्र पुलिस साक्षी हो जाना साक्षी की विश्वसनीयता को खण्डित नहीं कर देता है। **न्यायनिर्णय—** राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य: न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। **न्यायनिर्णय—** नाथूसिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य ए आई आर 1973 एस सी 2783 में यह व्यक्त किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी के कथनो को विश्वसीय मानने के लिये दूसरे गवाहो का उससे समर्थन आवश्यक है। **न्यायदृष्टात—** मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

12. प्रकरण में राजेश गुप्ता अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह तथ्य तो स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त से जब्तशुदा दर्शाया गया मोबाईल वैसे मोबाईल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं किन्तु स्वतः कथन करते हैं कि उनके द्वारा अभियुक्त से जिस आई.एम.ई.आई. नंबर को जब्त किया गया था वह अन्य व्यक्ति पर नहीं मिल सकता है। साक्षी का उक्त कथन उक्त मोबाईल की पहचान को सुनिश्चित करने का विशिष्ट क्रमांक होता है जो कि एक मोबाईल को एक ही बार किया जाता है। फरियादी ने घटना दिनांक को ही विशिष्ट आई.एम.ई.आई. नंबर के मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी क्वाट्रो मॉडल 8552 के चोरी होने के तथ्य की पुष्टि की है जिसे कोई चुनौती नहीं दी गयी है। उक्त आई.एम.ई.आई. नंबर के मोबाईल को अभियुक्त से जब्त होने के तथ्य की पुष्टि प्र०पी० 8 सी के जब्ती पत्रक के द्वारा की गयी है। ऐसी दशा में फरियादी के चोरी हुए मोबाईल और अभियुक्त से उक्त मोबाईल की जब्ती होना अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है। अभियुक्त द्वारा रंजिशन अपराध में लिप्त किए जाने का बचाव लिया है, किन्तु किस व्यक्ति से किस रंजिश के कारण लिप्त किया जाता, इसका कोई आधार नहीं है।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन न्यायालय के द्वारा किसी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा किए जाने के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारवार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए संभाव्यतः समझने की दशा में न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर सकता है। उक्त उपधारणा में दृष्टांत का चुराई हुई संपत्ति के संबंध में जब किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है और वह उसका समुचित कारण देने में अस्मर्थ रहता है तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि उक्त माल उस व्यक्ति ने चुराया है या चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त से उक्त मोबाईल जब्त किए जाने और उसकी अनन्यता सुनिश्चित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य मौजूद है। अभियुक्त की ओर से कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। जहां तक रंजिश का बचाव लिया है तो रंजिश का तथ्य अप्रमाणित है। न्यायालय का ध्यान **न्यायनिर्णय— मुंशीप्रसाद व अन्य विरुद्ध स्टेटै आफ बिहार 2002 एस सी किमिनल 175** की ओर आकर्षित होता है जिसमें व्यक्त किया कि जहां अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय की राय में विश्वसनीय है वहां सदेह का लाभ दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन का मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.02.14 को प्रातः 11 बजे दंदरौआ मंदिर हनुमान मंदिर परिसर थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी सी०पी० शर्मा के आधिपत्य के एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वालट्रो मोबाईल आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 की चोरी कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 379 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

16. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

17. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश के नवयुवक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त की घटना के समय आयु 22 वर्ष लेख की गयी है वर्तमान में भी अभियुक्त की आयु अत्यधिक नहीं है फिर भी अभियुक्त द्वारा चोरी जैसे गंभीर अपराध को कारित किया गया है, जो वर्तमान में क्षेत्र में तेजी से बढ रही इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए कम दण्ड से दण्डित किए जाने हेतु उचित आधार नहीं दर्शाता है। ऐसी दशा में उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत और प्रकरण की लगभग तीन वर्ष की विचारणि अवधि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को संहिता की धारा 379 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरित कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि, यदि हो तो वह दी गयी सजा से कम की जावे।

19. प्रकरण में जब्त शुदा सैमसंग गैलेक्सी ग्रांड क्वालट्रो मोबाईल आई.एम.ई.आई. क्रमांक 357091/05/533602/6 पूर्व से फरियादी सी०पी० शर्मा की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

20. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

21. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश